कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैदरीपुरा, उनियारा जिला टोंक को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सामोली (SAMOLI), जिला उदयपुर एवं श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानसिंहपुरा, शेरगढ जिला जोधपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हैदरीपुरा, उनियारा जिला टोंक में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3411/2019 महावीर प्रसाद अग्रवाल बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3411/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी महावीर प्रसाद अग्रवाल के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को अपीलार्थी श्री महावीर प्रसाद अग्रवाल के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप श्री अग्रवाल माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्यधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, हैदरीपुरा, उनियारा जिला टोंक में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगे एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित श्री घनश्याम बैरवा, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, टोंक में दी जानी सुनिश्चित करें।

17/12

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/महावीर अग्रवाल/3411/2019 दिनांकः 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/उदयपुर संभाग, अजमेर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, टोंक/उदयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner